"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 286] रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 मई 2021 — ज्येष्ठ 1, शक 1943

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 22 मई 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1–60/2021/17–एक.— महामारी अधिनियम, 1897 (1897 का स.3) की धारा दो द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थातः–

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तारः**– (1) ये विनियम छत्तीसगढ़ महामारी रोग (ब्लैक फंगस) विनियम, 2021 कहलाएंगे.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

2. **परिभाषाएँ** :– इन विनियमों में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेरित है महामारी अधिनियम 1897 (1897 का स.3);

(ख) ''महामारी'' से अभिप्रेरित है ब्लैक फंगस (Mucormycosis).

3. छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत समस्त स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (शासकीय और निजी) को ब्लैक फंगस (Mucormycosis) के स्क्रिनिंग, पहचान एवं प्रबंधन के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, भारत सरकार /आई.सी.एम.आर./छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जारी किए गए एवं समय–समय पर यथा संशोधित दिशा–निर्देशों का पालन करना होगा.

4. छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत समस्त स्वास्थ्य सेवा प्रदाता (शासकीय और निजी) को ब्लैक फंगस (Mucormycosis) के संदेहास्पद या पुष्टिकृत प्रत्येक प्रकरण को, संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित करना अनिवार्य होगा.

5. कोई भी व्यक्ति/संस्था या संगठन द्वारा, ब्लैक फंगस (Mucormycosis) के लिए किसी भी प्रिंट/इलेक्ट्रानिक अथवा अन्य प्रकार के मिडिया का उपयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा.

6. **प्रवर्तन और वैद्यता** :– यह अधिसूचना, इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा और आगामी एक वर्ष तक वैद्य रहेगा.

7. **देयता और अर्थदंड** :– किसी भी व्यक्ति द्वारा महामारी अधिनियम 1897 (1897 का स. 3) के अंतर्गत बनाए गये इस विनियम या जारी आदेश की अवज्ञा करने पर, भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया गया माना जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र सिंह बाघे, उप–सचिव.

अटल नगर, दिनांक 22 मई 2021

क्रमांक एफ 1–60/2021/17–एक.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22 मई, 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र सिंह बाघे, उप–सचिव.

Atal Nagar, the 22nd May 2021

NOTIFICATION

No. एफ 1–60/2021/17–एक.— In exercise of the powers conferred by Section 2 of the Epidemic Diseases Act 1897 (No. 3 of 1897), the State Government, hereby, makes the following regulations, namely:-

REGULATION

1. **Short title and extent.-** (1) These regulations may be called the Chhattisgarh Epidemic Diseases (Mucormycosis) Regulations 2021.

(2) It shall extend to the whole State of Chhattisgarh.

2. **Definitions:-** In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Epidemic Diseases Act, 1897 (Act 3 of 1897).

(b) "Epidemic Disease" means Mucormycosis.

3. All the health care facilities provider (Government and Private) under State of Chhattisgarh will follow the guidelines for screening, diagnosis, management of Mucormycosis, issued by MoHFW, GoI/ICMR/State Government of Chhattisgarh and as amended from time to time.

4. All the health care facilities provider (Government and Private) under State of Chhattisgarh will report each and every suspected or confirmed case of Mucormycosis to Chief Medical and Health Officer of concerned district.

5. No person/institution or organization will use any print/electronic or any other form of media for Mucormycosis without prior permission from Department of Health and Family Welfare, Government of Chhattisgarh.

6. **Enforcement and Validity:-** This notification shall come into force from the date of its publication and shall remain valid for next one year.

7. **Liability and Penalty:-** Any person disobeying this regulations or order made under the Epidemic Diseases Act, 1897 (No. 3 of 1897) shall be deemed to have committed an offence punishable under Section 188 of the Indian Penal code, 1860 (No. 45 of 1860).

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SURENDRA SINGH BAGHE, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2021.